



सत्काल तिथिवत्  
सेवा में,

1. संयुक्त निदेशक एवं प्रधानाचार्य, राजकीय आईटीओओटीओ, रोहतक।
2. सभी प्रधानाचार्य/वर्ग अनुदेशक इन्चार्ज, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (हरियाणा राज्य में)।
3. सभी प्रधानाचार्य/वर्ग अनुदेशक इन्चार्ज (महिला), राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला) (हरियाणा राज्य में)।
4. सभी प्रधानाचार्य, प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (हरियाणा राज्य में)।

यदि क्रमांक टी-4/पी.एम.एस/एस.सी/2015/ 468

दिनांक

24/2/16

विषय- गैर-मैट्रिक स्कोलरशिप स्कीम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/विमुक्त, घुमन्तू तथा अर्ध घमन्तू जातियों के छात्र/छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति आवेदन पत्र वर्ष 2015-16 से (On Line) आन लाईन अपलोड करने बारे।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में।

आपको निर्देश दिए जाते हैं कि निदेशक, अनुसूचित जातियाँ एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा द्वारा पोस्ट मैट्रिक स्कोलरशिप स्कीम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/विमुक्त, घुमन्तू तथा अर्ध घमन्तू जातियों के छात्र/छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति आवेदन पत्र वर्ष 2015-16 से (On Line) आन लाईन अपलोड करने के लिए हेतु निम्नप्रकार से तिथि बढ़ाई गई है:-

1. संस्थान रजिस्ट्रड करवाने की अन्तिम तिथि 28.2.2016 निर्धारित की गई है। अतः निर्धारित तिथि अनुसार हर हालत में संस्थान रजिस्ट्रड करवाना सुनिश्चित करें।
2. छात्र/छात्राओं के छात्रवृत्ति आवेदन आन लाईन अपलोड करने की अन्तिम तिथि 29.2.2016 निर्धारित की गई है। उक्त तिथि अनुसार हर हालत में छात्रवृत्ति आवेदन आन लाईन अपलोड (On Line) करवाना सुनिश्चित करें।

नोट:- यदि कोई अनुसूचित जाति/विमुक्त, घुमन्तू तथा अर्ध घमन्तू जातियों के छात्र/छात्राओं के छात्रवृत्ति से संबंधित रह जाता है तो उस संस्थान का मुख्या स्वयं जिम्मेवार होगा।

सहायक निदेशक (प्रशिक्षण-III)  
क्र: महानिदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग,  
हरियाणा।

पृष्ठांकन क्र0 टी-4/पी.एम.एस/एस.सी/2015/ 469, दिनांक 24/2/16  
उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:-

1. सभी जिला स्तर के नोडल अधिकारी/प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (हरियाणा राज्य में)।
2. संयुक्त निदेशक (योजना)।
3. ~~संयुक्त~~ निदेशक (प्रशिक्षण-4)। अनुरोध है कि प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यवाही अपने स्तर पर पूर्ण करवाएँ।
4. नोडल अधिकारी, वेबसाइट। विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

सहायक निदेशक (प्रशिक्षण-III)  
क्र: महानिदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग,  
हरियाणा।